



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 31 मार्च, 1975

चंद्र 10, 1897 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1167/सत्रह-वि-1-27-75

लखनऊ, 31 मार्च, 1975

अधिसूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा बंधीकरण) विधेयक, 1975 पर दिनांक 31 मार्च, 1975 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1975]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 में अग्रेतर संशोधन करने और तदधीन की गई तात्पर्यित कतिपय कार्यवाही को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 4 फरवरी, 1975 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा  
प्रारम्भ

अधिनियम संख्या  
9, 1910 की  
धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में, उप-धारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएँ रख दी जायें, अर्थात् :—

“(2) जहाँ कोई उपक्रम उपधारा (1) के अधीन विक्रय किया जाता है वहाँ क्रेता धारा 7 और 7-क के जैसा कि उसे भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, उक्त धारा 7-क की उपधारा (3) को छोड़कर, उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा।

(3) जहाँ राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी करती है जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा है कि वह उपक्रम का विक्रय करे वहाँ वह ऐसी सूचना से अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसका परिदान करे और तब अनुज्ञप्तिधारी उक्त रकम के अवधारण और अनुज्ञप्तिधारी को उसके संदाय के लम्बित रहते हुए सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को उस उपक्रम को अभिहित क्रेता को या ऐसे अधिकारी को जिसे अभिहित क्रेता उस निमित्त नियुक्त करे, परिदत्त करेगा :

परन्तु ऐसे मामले में क्रेता के लिए अनुज्ञप्तिधारी को संदेय रकम पर उपक्रम के परिदान की तारीख से लेकर ऐसी रकम के संदाय किये जाने की तारीख तक की कालावधि के लिए उपक्रम के परिदान की तारीख को अभिभावी रिजर्व बैंक दर पर और एक प्रतिशत व्याज अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा।”

धारा 6 की उप-  
धारा (6) तथा  
(7) का निरसन  
तथा पुनः अधि-  
नियमन

3—मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (6) तथा (7) एतद्द्वारा तारीख 5 सितम्बर, 1959 से निरस्त की जाती हैं, और पुनः अधिनियमित की जाती हैं तथा उसी तारीख से निम्नलिखित रूप में पुनः अधिनियमित समझी जाएंगी, अर्थात् :—

“(6) जहाँ उपक्रम को क्रय करने के विकल्प का प्रयोग करने की सूचना इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तिधारी पर तामील कर दी गयी है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी उप-धारा (7) में निविष्ट रकम के अवधारण और संदाय के लम्बित रहते हुए, उप-धारा (1) में निविष्ट सुसंगत कालावधि के अवसान पर उस उपक्रम को राज्य विद्युत् बोर्ड, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को या ऐसे अधिकारी को जिसे बोर्ड, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उस निमित्त नियुक्त करे, परिदत्त करेगा :

परन्तु कि अनुज्ञप्तिधारी उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर उपक्रम परिदत्त किये जाने की तारीख से लेकर उक्त रकम का संदाय करने की तारीख तक की कालावधि के लिये उपक्रम परिदत्त किये जाने के समय अभिभावी रिजर्व बैंक दर पर व्याज और एक प्रतिशत पाने का हकदार होगा।

(7) जहाँ किसी उपक्रम को इस धारा के अधीन क्रय किया जाता है वहाँ क्रेता धारा 7 और 7-क के जैसा कि उसे भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा।”

धारा 7 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 7 में—

(1) उप-धारा (1) में, खण्ड (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय :—

“परन्तु ऐसा कोई ऋण, बन्धक या वैसी वाध्यता उपक्रम के लिये संदेय रकम से संलग्न हो जायगी ;”

(2) उपधारा (2); (3) और (5) में जहाँ कहीं भी शब्द “क्रय धन” आये हों उनके स्थान पर शब्द “रकम” रख दिया जाय।

धारा 7-क के स्थान  
पर नई धारा 7-क  
और 7-कक का  
रखा जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 7-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रख दी जायें, अर्थात् :—

“7-क—(1) जहाँ किसी अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम का धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विक्रय किया जाता है या उसको धारा 6 के अधीन क्रय रकम का अवधारण किया जाता है, वहाँ उसके लिए संदेय रकम एतस्मिन्पश्चात् उपबन्धित के अनुसार अवधारित की जायगी।

(2) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को संदेय कुल रकम नीचे विनिर्दिष्ट रकम का कुल मूल्य होगी :—

(1) ऐसे सभी संपूरित संकर्मों का जो उपक्रम के सम्बन्ध में हितकारी उपयोग में हों, और, यथास्थिति, राज्य विद्युत् बोर्ड, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ले लिये गये हों (जिसके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो) पुस्तकित मूल्य जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की सातवीं अनुसूची के साथ पठित उठठी अनुसूची के अनुसार परिकलित अवक्षयण को कम कर दिया जायगा ;

(2) लिये गये ऐसे सभी संकर्मों का जिन पर कार्य हो रहा है, पुस्तांकित मूल्य जिनके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिए उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो ;

(3) लिये गये सभी भण्डार का जिसके अन्तर्गत पुर्जे भी हैं, पुस्तांकित मूल्य और उपयोग में लाये गये भण्डार तथा पुर्जों की दशा में, यदि वे ले लिए गये हों, तो, ऐसी धनराशि जो उपधारा (6) में निर्दिष्ट विशेष अधिकारी (जिसे आगे विशेष अधिकारी कहा गया है) द्वारा विनिश्चित की जाय ;

(4) धारा 7 के अधीन ऐसे निहित होने वाले दिनांक, जिसे आगे निहित दिनांक कहा गया है, को उपयोग में लाई जाने वाली और ली गई अन्य सभी स्थिर आस्तियों का पुस्तांकित मूल्य जिसमें से उक्त अनुसूचियों के अनुसार परिकल्पित अवक्षयण को कम कर दिया जायगा ;

(5) ऐसे सभी संयंत्रों तथा उपकरणों का जो निहित दिनांक को विद्यमान हों, यदि ले लिये गये हों, किन्तु जो घिसाई या अप्रचलन के कारण उपयोग में न हों, उस सीमा तक पुस्तांकित मूल्य जहां तक ऐसा मूल्य अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तिका में अपलिखित न कर दिया गया हो, जिसमें से उक्त अनुसूचियों के अनुसार परिकल्पित अवक्षयण को कम कर दिया जायगा ।

स्पष्टीकरण:—किसी स्थिर आस्तियों के पुस्तांकित मूल्य से उसकी मूल लागत अभिप्रेत है, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(1) आस्तियों के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त ऋण मूल्य जिसके अन्तर्गत परिदान का खर्च और आस्तियों का विनिर्माण करने तथा उन्हें हितकारी उपयोग में लाने के लिये उचित रूप से उपगत सभी प्रभार जैसा कि उपक्रम की पुस्तिकाओं में संदर्शित किया गया हो, भी है ;

(2) पर्यवेक्षण के वस्तुतः उपगत किया गया खर्च किन्तु जो पैरा (1) में निर्दिष्ट रकम के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन रकम का विनिश्चय करने के पूर्व, विशेष अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को इसके लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देने के पश्चात् सुनवाई का अवसर दिया जायगा ।

(3) धारा 6 के अधीन अनिवार्य ऋण के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी को उपधारा (2) के खण्ड (1) से (4) के अधीन निर्धारित रकम के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि संदत्त की जायगी ।

(4) जब उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में नवीनतम वार्षिक लेखा हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई आस्तियां अर्जित की जायें तब आस्तियों का पुस्तांकित मूल्य वही होगा जो विशेष अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय ;

परन्तु ऐसी किन्हीं आस्तियों के पुस्तांकित मूल्य का विनिश्चय करने के पूर्व, विशेष अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को इसके लिये कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देने के पश्चात् सुनवाई का अवसर दिया जायगा ।

(5) क्रेता पूर्ववर्ती उप-धाराओं के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को संदेय कुल रकम में से निम्नलिखित धनराशियां काटने का हकदार होगा:—

(क) पहले से अग्रिम दी गयी रकम, यदि कोई हो ;

(ख) जहां क्रेता राज्य विद्युत् बोर्ड है वहां निहित दिनांक के पूर्व बोर्ड द्वारा प्रदाय की गयी ऊर्जा के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बोर्ड को देय रकम, यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज भी है ;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य सरकार या राज्य विद्युत् बोर्ड को देय समस्त रकम तथा उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो ;

(घ) वह रकम, यदि कोई हो, जो उपक्रम की कोई संपत्ति या अधिकार क्रेता को न दे दिये जाने के कारण क्रेता को हुई हानि के समतुल्य हो और इस हानि की रकम उतनी रकम समझी जायेगी जितना कि ऐसी संपत्ति या अधिकार का बाजार मूल्य इस धारा के अधीन उसके लिए देय रकम से अधिक हो, तथा कोई आय, जो क्रेता द्वारा वसूल की जाती यदि संपत्ति या अधिकार निहित दिनांक को दिया गया होता ;

(ङ) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथापरिभाषित किसी निगम को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय समस्त ऋणों की रकम और उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो ;

(च) समस्त धनराशि जो प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा संदत्त की गयी हो और निहित दिनांक को उस पर देय ब्याज बकाया जहां तक उसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रेता को संदत्त न किया गया हो, जिसमें से उतनी रकम कम कर दी जायगी

जो अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तिका के अनुसार उक्त दिनांक के पूर्व प्रदाय की गई ऊर्जा के लिए अलग-अलग उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय हो ;

(छ) उपभोक्ताओं तथा भावी उपभोक्ताओं के समस्त अग्रिम तथा ऐसी धनराशि जिससे उपभोक्ता के नाम में जमा करके अलग कर दिया गया है या किया जाना चाहिये, जहां तक ऐसे अग्रिम या धनराशि का संदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रेता को न किया गया हो ;

(ज) टेरिफ तथा लाभांश नियंत्रण आरक्षित, आकस्मिकता आरक्षित तथा विकास आरक्षित में शेष रकम, जहां तक ऐसी रकम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रेता को संबन्ध न की गयी हो ।

(6) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे लेखा सम्बन्धी विषयों का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हो, उस शुद्ध रकम का निर्धारण करने के लिए जो इस धारा में उल्लिखित कटौतियां करने के पश्चात्, इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को संदेय हो, विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी ।

(7) (क) संदेय शुद्ध रकम का निर्धारण करने में विशेष अधिकारी, राज्य सरकार अथवा राज्य विद्युत् बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की सहायता ले सकेगा जिन्हें वह उचित समझे ।

(ख) विशेष अधिकारी को वे ही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं :-

- (1) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
- (2) दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करना ; और
- (3) साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकालना ।

विशेष अधिकारी को ऐसी और भी शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विहित की जाएं ।

(8) जहां अनुज्ञप्तिधारी को संदेय कुल रकम इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली कुल रकम के बराबर अथवा उससे कम हो, वहां क्रेता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को कोई भुगतान नहीं किया जायगा ।

7-कक—(1) यथास्थिति, धारा 5 की उप-धारा (3) या धारा 6 की उप-धारा (6) के उपबन्धों के अनुपालन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपक्रम के परिदत्त न उपक्रम का बल प्रयोग द्वारा कब्जा लेने की शक्ति किये जाने पर उक्त उपबन्धों के अधीन नियुक्त ऐसा अधिकारी ऐसे उपक्रम को तुरन्त कब्जे में ले सकेगा और ऐसे कार्य कर सकेगा या करा सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करा सकेगा जो ऐसे अधिकारी की राय में उस प्रयोजन के लिये युक्ति-युक्त रूप से आवश्यक हो ।

(2) सम्बद्ध अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन कब्जा ले लेने पर, धारा 7 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों उपक्रम, यथास्थिति, धारा 5 की उप-धारा (3) या धारा 6 की उप-धारा (6) के अधीन, यथास्थिति, राज्य विद्युत् बोर्ड, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को परिदत्त कर दिया गया था ।”

मई धारा 42-कक का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 42-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :-

“42-कक— जो कोई—

(क) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी का कोई अधिकारी या कर्मचारी होते हुए उपक्रम या उसकी संपत्ति यथास्थिति, धारा 5 की उप-धारा (3) या धारा 6 की उप-धारा का कब्जा देने से इन्कार (6) के अधीन नियुक्त अधिकारी को (जिसे प्रागे इस धारा में करने या उसमें असफल ‘नियुक्त अधिकारी’ कहा गया है) उपक्रम का कब्जा देने, या रहने के लिए और किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु का जो ऐसे उपक्रम की हो या उसका उसका कब्जा लेने में भाग हो या उपक्रम से सम्बन्धित किन्हीं लेखा बहियों या अन्य बाधा डालने के लिए दस्तावेजों का, कब्जा देने में जिनका कब्जा लेने के लिए नियुक्त शास्ति अधिकारी हकदार हो, जान बूझ कर असफल रहेगा या देने से जान-बूझ कर इन्कार करेगा, या

(ख) नियुक्त अधिकारी को उपक्रम का कब्जा लेने या उसकी किसी भी संपत्ति या वस्तु का जो ऐसे उपक्रम का हो या उसका भाग हो, या उपक्रम से सम्बन्धित किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों का कब्जा लेने में जिनका कब्जा लेने के लिए नियुक्त अधिकारी हकदार हो, बाधा डालेगा ;

वह कारावास से जो तीन वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।”

अधिकारी संख्या 1901

7—इस अधिनियम के उपबन्ध, उन सभी अनुज्ञप्तिधारियों को उनके उन उपक्रमों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिन्हें मूल अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन 5 सितम्बर, 1959 के पश्चात् विक्रय किया गया हो और जिनके सम्बन्ध में क्रय कीमत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अवधारित न की गई हो।

अधिनियम का  
लागू होना

8—(1) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

बंधीकरण

(क) विद्युत् उपक्रम क्रय करने का प्रत्येक विकल्प, जिसका प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (बोर्ड) ने मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी पर सूचना तामील करके किया हो, और उपक्रम का प्रत्येक परिदान जिसे अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसी सूचना के अनुसरण में 5 सितम्बर, 1959 के पश्चात् किसी भी समय किया हो, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 6, 7 और 7-क के अधीन किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत कोई उपक्रम क्रय करना या उसका परिदान भी है) उसी प्रकार विधिमान्य होगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे, और किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष उन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपक्रम का परिदान किये जाने की तारीख से लेकर रकम का संदाय किये जाने की तारीख तक की कालावधि के लिए क्रय कीमत पर किसी व्याज का संदाय करने की व्यवस्था मूल अधिनियम की धारा 6 में नहीं थी; और

(ख) इस बात के होते हुए कि मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट रकम का संदाय उपक्रम का कब्जा लेने के साथ-साथ न हो, उस धारा की उप-धारा (6) का उपबन्ध जिसके द्वारा उक्त उपक्रम को उक्त परिषद् की परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है, प्रभावी होगा; और

(ग) कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसका उपक्रम क्रय किया जाय अथवा जिसे क्रय करने के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ हो गई हों और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय लम्बित हों, मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त उक्त धारा की उप-धारा (6) के परन्तुक के अनुसार (जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया है) उस पर व्याज का हकदार होगा मानो वह परन्तुक सभी सारवान समयों पर विद्यमान था।

9—भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा बंधीकरण) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

No. 1167(2)/XVII-V-1—27-75

Dated Lucknow, March 31, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bharatiya Vidyut (Uttar Pradesh Sanshodhan Tatha Vaidhikaran) Adhinyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 16 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 31, 1975:

### THE INDIAN ELECTRICITY (UTTAR PRADESH AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1975

[UTTAR PRADESH ACT NO. 16 OF 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Indian Electricity Act, 1910, in its application to Uttar Pradesh and to validate certain action purporting to have been taken thereunder.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Indian Electricity (Uttar Pradesh Short title, extent Amendment and Validation) Act, 1975. and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on February 4, 1975.

**Amendment of section 5 of Act no. IX of 1910.**

2. In section 5 of the Indian Electricity Act, 1910, as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(2) Where an undertaking is sold under sub-section (1); the purchaser shall pay to the licensee an amount determined in accordance with the provisions of section 7 and section 7-A as substituted by the Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment and Validation) Act, 1975, excepting sub-section (3) of the said section 7-A.

(3) Where the State Government issues any notice under sub-section (1) requiring the licensee to sell the undertaking, it may by such notice require the licensee to deliver, and thereupon the licensee shall deliver on a date specified in the notice the undertaking to the designated purchaser or to such officer as the designated purchaser may appoint in that behalf pending determination and payment of the said amount to the licensee :

Provided that in any such case, the purchaser shall pay to the licensee, interest at the Reserve Bank rate ruling at the time of delivery of the undertaking plus one percentum, on the amount payable to the licensee for the period from the date of delivery of the undertaking to the date of payment of such amount.”

**Repeal and re-enactment of sub-sections (6) and (7) of section 6.**

3. In section 6 of the principal Act, sub-sections (6) and (7) are hereby repealed with effect from September 5, 1959, and are re-enacted and shall be deemed to have been re-enacted with effect from the same date as follows, namely :—

“(6) Where a notice exercising the option of purchasing the undertaking has been served upon the licensee under this section, the licensee shall deliver the undertaking to the State Electricity Board, the State Government or the local authority, as the case may be, or to such officer as the Board, the Government or the local authority may appoint in that behalf on the expiration of the relevant period referred to in sub-section (1) pending the determination and payment of the amount referred to in sub-section (7) :

Provided that the licensee shall, in addition to the said amount, be entitled to interest thereon at the Reserve Bank rate ruling at the time of delivery of the undertaking plus one percentum for the period from the date of delivery of the undertaking to the date of payment of said amounts.

(7) Where an undertaking is purchased under this section, the purchaser shall pay to the licensee an amount determined in accordance with the provisions of section 7 of section 7-A as substituted by the Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment and Validation) Act, 1975.”

**Amendment of section 7.**

4. In section 7 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the proviso to clause (i), the following proviso shall be substituted, namely :

“Provided that any such debt, mortgage or similar obligation shall attach to the amount payable for the undertaking ;” ;

(ii) in sub-sections (2), (3) and (5), for the words “purchase money”, wherever occurring, the word “amount” shall be substituted.

**Substitution of new sections 7-A and 7-AA for section 7-A.**

5. For section 7-A of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely :—

“7-A: (1) Where an undertaking of a licensee is sold under sub-section (1) of section 5 or is purchased under section 6, the amount payable therefor shall be determined as hereinafter provided.

(2) The gross amount payable to such licensee shall be the aggregate value of the amounts specified below—

(i) the book value of all completed works in beneficial use pertaining to the undertaking and taken over by the State Electricity Board, the State Government or local authority, as the case may be (excluding works paid for by consumers), less depreciation calculated in

accordance with the Sixth Schedule read with the seventh Schedule to the Electricity (Supply) Act, 1948 ;

(ii) the book value of all works in progress taken over, excluding works paid for by the consumers or prospective consumers ;

(iii) the book value of all stores, including spare parts taken over, and in the case of used stores and spare parts, if taken over, such sum as may be decided upon by the Special Officer referred to in sub-section (6) (hereinafter referred to as the Special Officer) ;

(iv) the book value of all other fixed assets in use on the date of vesting under section 7, hereinafter referred to as the vesting date, and taken over, less depreciation calculated in accordance with the said Schedules ;

(v) the book value of all plants and equipments existing on the vesting date, if taken over but no longer in use owing to wear and tear or to obsolescence, to the extent such value has not been written off in the books of the licensee, less depreciation calculated in accordance with the said Schedules ;

*Explanation*—The book value of any fixed asset means its original cost, and shall comprise—

(i) the purchase price paid by the licensee for the asset, including the cost of delivery and all charges properly incurred in erecting and bringing the asset into beneficial use as shown in the books of the undertakings ;

(ii) the cost of supervision actually incurred, but not exceeding fifteen per cent of the amount referred to in paragraph (i) :

Provided that before deciding the amount under this sub-section, the licensee shall be given an opportunity by the Special Officer of being heard, after giving him a notice of at least 15 days therefor.

(3) A sum equal to 10 per cent of the amounts assessed under clauses (i) to (iv) of sub-section (2) shall be paid to the licensee in respect of compulsory purchase under section 6.

(4) When any asset is acquired by the licensee after the expiry of the period to which the latest annual accounts relate, the book value of the asset shall be such as may be decided upon by the Special Officer :

Provided that before deciding the book value of any such asset, the licensee shall be given an opportunity by the Special Officer of being heard, after giving him a notice of at least 15 days therefor.

(5) The purchaser shall be entitled to deduct the following sums from the gross amount payable under the foregoing sub-section to a licensee—

(a) the amount, if any, already paid in advance ;

(b) where the purchaser is the State Electricity Board the amount due, if any, including interest thereon, from the licensee to the Board, for energy supplied by the Board before the vesting date ;

(c) all amounts and arrears of interest, if any, thereon, due from the licensee to the State Government or the State Electricity Board ;

(d) the amount, if any, equivalent to the loss sustained by the purchaser by reason of any property or rights belonging to the undertaking not having been handed over to the purchaser, the amount of such loss being deemed to be the amount by which the market value of such property or rights exceeds the amount payable therefor under this section, together with any income which might have been realised by the purchaser, if the property or rights had been handed over on the vesting date ;

(e) the amount of all loans due from the licensee to any corporation as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, and arrears of interest, if any, thereon ;

(f) all sums paid by the consumers by way of security deposit and arrears of interest due thereon on the vesting date, in so far as they have not been paid over by the licensee to the purchaser, less the amounts which according to the books of the licensee are due from the respective consumers to the licensee for energy supplied by him before that date ;

(g) all advances from consumers and prospective consumers, and sums which have been or ought to be set aside to the credit of the consumers, in so far as such advances or sums have not been paid over by the licensee to the purchaser ;

(h) the amounts remaining in Tariffs and Dividends Control Reserve, Contingencies Reserve and the Development Reserve, in so far as such amounts have not been paid over by the licensee to the purchaser.

(6) The State Government shall appoint, by order in writing, a person having adequate knowledge and experience in matter relating to accounts, to be Special Officer to assess the net amount payable under this section to the licensee, after making the deductions mentioned in this section.

(7) (a) The Special Officer may call for the assistance of such officers and staff of the State Government or the State Electricity Board or the licensee as he may deem fit in assessing the net amount payable.

(b) The Special Officer shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit, in respect of the following matters :—

(i) enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(ii) compelling the production of documents ; and

(iii) issuing commissions for the examination of witnesses.

The Special Officer shall also have such further powers as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*.

(8) Where the gross amount payable to the licensee is equal to or less than the total amount to be deducted under this section no payment shall be made to the licensee by the purchaser.

7-AA. (1) On failure of the licensee to deliver the undertaking in compliance with the provisions of sub-section (3) of section 5 or sub-section (6) of section 6, as the case may be, the officer appointed under the said provisions may forthwith enter into possession of such undertaking and may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such force as may in the opinion of such officer be reasonably necessary for that purpose.

(2) On the entry into possession under sub-section (1) by the officer concerned, the provisions of section 7 shall apply as if the undertaking had been delivered to the State Electricity Board, the State Government or the local authority, as the case may be, under sub-section (3) of section 5 or sub-section (6) of section 6, as the case may be."

Insertion of new section 42-AA.

6. After section 42-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"42-AA. Whoever—

(a) being a licensee or an officer or employee of the licensee, wilfully fails or refuses to deliver to the officer appointed under sub-section (3) of section 5 or sub-section (6) of section 6 as the case may be, (hereinafter in this section referred to as "the appointed officer") the possession of the undertaking, or the possession of any property or effects belonging to or forming part of such undertaking or of any books of accounts or other documents relating to the undertaking the possession of which the appointed officer is entitled to take, or

(b) wilfully obstructs the appointed officer in entering into possession of the undertaking or taking possession of any of its property or effects, belonging to or forming part of such undertaking or of any books of accounts or other documents relating to the undertaking the possession of which the appointed officer is entitled to take,

shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with the fine which may extend to ten thousand rupees, or with both."

Act 1901



7. The provisions of this Act shall apply to all licensees in respect of their undertakings sold after September 5, 1959, under section 5 or section 6 of the principal Act and purchase price in respect whereof was not determined prior to the commencement of this Act.

Application of Act.

When licensees were provided under section (5) of principal Act. Here

8. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary—

Validation.

(a) every option of purchase of an electricity undertaking exercised by the Uttar Pradesh State Electricity Board, by serving notice upon a licensee under section 6 of the principal Act, and every delivery of an undertaking effected by a licensee to the said Board, in pursuance of such notice at any time after September 5, 1959, and anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken (including purchase and delivery of every undertaking before the commencement of delivery of an undertaking) before the commencement of this Act, under sections 6, 7 and 7-A of the principal Act shall be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times, and shall not be called in question in any court or tribunal or before any other authority on the ground that section 6 of the principal Act did not provide for the payment of any interest on the purchase price for the period from the date of delivery of the undertaking to the date of payment of the amount, and

(b) notwithstanding that the payment of the amount referred to in sub-section (7) of section 6 of the principal Act is not simultaneous with the taking delivery of possession of an undertaking the provision in sub-section (6) of that section requiring delivery of the undertaking to the said Board shall have effect, and

(c) a licensee whose undertaking is purchased, or for the purchase of which proceedings have been commenced and are pending at the commencement of this Act, shall be entitled in addition to the amount referred in sub-section (7) of section 6 of the principal Act, interest thereon in accordance with the proviso to sub-section (6) of that section (as inserted by this Act) as if the proviso existed at all material times.

9. The Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment and Validation) Ordinance, 1975, is hereby repealed.

Repeal.

श्रीमान् ले,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।

U. P. Ordinance no. 7 of 1975.